(भूमि नियमन/आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र)

क्रमांक 10957

सूचना-प्रपत्र

मूल्य दस रूपये

आयुक्त
चक नं. प्रथम/द्वितीय
नगर परिषद्, पाली

(कृपया जो लागू न हो उसे काट दें)

विषय :– राजस्व ग्राम.....के आराजी नम्बर.....

कुल क्षेत्रफल वर्गफीट.....

हैक्टेयर.....प्रयोजनार्थ नियमन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

महोदय,

हमारी समिति/हमारे भू–खण्ड/भवन के नियमन के सम्बन्ध में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है–

1. समिति का नाम.....

पंजीयन संख्या.....दिनांक.....

या

योजना का नाम.....(यदि हो) राजस्व ग्राम.....के

खसरा नं. .....कुल क्षेत्रफल.....जो कि योजना के पास/सम्मिलित है।

पटवार मण्डल.....तहसील.....

क्षेत्रफल.....में आवेदक/आवेदकगणों का हिस्सा.....क्षेत्रफल है।

या

2. समिति की वर्तमान प्रबन्धकारिणी की सूची.....(यदि हो तो अंकित करें)

बिन्दु संख्या 1 में वर्णित आराजी के खातेदार/कब्जेदार/क्रेता (1से अधिक हिस्सेदारों की अवस्था में सूची संलग्न करें।) का नाम.....पिता का नाम.....एंव इसके खाते में से आवेदक/आवेदकों द्वारा क्रय किया गया क्षेत्रफल.....

ग्राम	तहसील मय पटवारी मण्डल	पुराना खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बीघा बिस्वा	नया खसरा नम्बर	क्षेत्रफल हैक्टयर/ बीघा बिस्वा में	विक्रेता का नाम (अधिक विक्रेता होने पर सूची संलगन करें)	विक्रेता का इस खसरे में कुल हिस्सा

कृपया जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न करावें एंव पुराने नम्बरों से आवाप्ताधीन भूमि का प्रकरण हो तो मिलान खसरा संलग्न करें।

2. इकरार नामे की दिनांक.....

पंजीकृत विक्रय पत्र की दिनांक.....(चार प्रतियों में)

(इकरार नामे/पंजीकृत विक्रय पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर योजना का नाम आराजी संख्या व मौजा अंकित करें।)

3. योजना/भू–खण्ड/भवन हेतु क्रय की गई भूमि का ले–आउट प्लान 1 इंच बराबर 50 फीट के स्केल में एवं प्लान 1 इंच बराबर 200 फीट के स्केल में दर्शाया जावें। योजना से लगती हुई भूमि का विवरण (पडौस) भी दर्शाया जावें। (चार प्रतियों में)

भूमि की स्थिति :–

4. भूमि अवाप्ति अधिनियम/भू–स्वामियों की सम्पदा अर्जन अधिनियम/कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिनियम से प्रभावित है। यदि हां तो विस्तृत विवरण मय दस्तावेज पेश करें।.....
.....

5. क्या योजना/भू–खण्ड में राजकीय भूमि/सिवाय चक/वन विभाग की भूमि सम्मिलित है? यदि हां तो ब्यौरा देवें।.....
.....

6. 1. क्या भूमि के सम्बन्ध में कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित है यदि हो तो पूर्ण विवरण दें।.....
.....
2. क्या भूमि के सम्बन्ध में कोई न्यायिक प्रकरण निर्णित हुआ है। पूर्ण विवरण दें।.....
.....

7. योजना के सदस्यों की सूची खातेदार से क्रयकर्त्ताओं की सूची मय पिता/पति का नाम (दो प्रतियों में) अधिक नाम होने पर सूची संलग्न करें।
1. .....
2. .....

(सदस्य सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर राजस्व ग्राम का नाम अंकित करें।)

8. योजना के अनुमोदित/प्रस्तावित मानचित्र के अनुसार सुविधा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति प्रत्येक सुविधा क्षेत्र का क्षेत्रफल (नाम दर्शाया जावें) अंकित किया जावें।
.....
.....

9. सुविधा क्षेत्र में यदि कोई निर्माण हुआ है तो उसका विवरण अंकित करें।

.....

.....

10. विशेष विवरण यदि कोई हो तो –.....

.....

11. स्कीम क्षेत्र के काश्तकारों की भूमि का राज्य सरकार के हित में समर्पणनामा । उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम.....

गृह निमार्ण सहकारी समिति या योजना का नाम.....

खरीददार का नाम.....पिता का नाम.....

जाति.....डाक का पता.....

संलग्न दस्तावेज (प्रमाणित प्रति) :–

1. प्रबन्धकारिणी समिति की प्रमाणित सूची/निर्वाचन अधिकारी की घोषणा की छाया प्रति
2. भूमि क्रय करने सम्बन्धी दस्तावेज की चार प्रतियां
3. योजना/भू–खण्ड मानचित्र की चार प्रतियां
4. भूमि से सम्बन्धित राजस्व दस्तावेज की चार प्रतियां
5. भूमि अवाप्ति अधिनियम/भू–स्वामियों की सम्पदाअर्जन अधिनियम/कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के सम्बन्ध में ब्यौरा एवं दस्तावेजात
6. राजकीय भूमि/सिवाय चक/वन विभाग की भूमि से सम्बन्धित ब्यौरा
7. सदस्यों की सूची दो प्रतियों में मय पिता/पति का नाम
8. भूमि के सम्बध में लम्बित न्यायिक प्रकरण का विवरण
9. शपथ पत्र
10. अन्य कोई दस्तावेज

कार्यालय नगर परिषद्, पाली

क्रमांक..... प्राप्ति रसीद..... दिनांक.....

श्री.....पुत्र/पत्नि श्री.....

पता.....

द्वारा प्रस्तुत भूमि नियमन/आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

दिनांक.....

आयुक्त

नगर परिषद्, पाली

प्रपत्र–2

(10/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से तस्दीक)

शपथ–पत्र

मैं.....आयु.....वर्ष.....

पुत्र श्री.....जाति.....

निवासी.....आराजी संख्या.....ग्राम.....

में से.....का खातेदार/क्रेता हूँ, सत्य व निष्ठा पूर्वक घोषित करता हूँ कि :–

1. ग्राम.....आराजी संख्या.....में से जिसका मैं.....क्षेत्रफल भूमि को.....नगर परिषद, पाली द्वारा आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजन के लिए नियमन किये जाने के विरूद्ध किसी भी स्तर की न्यायालय में किसी भी प्रकार का स्थगन आदेश जारी या वर्तमान में प्रभावशील है।
2. मैं शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि उक्त खातेदार/क्रेता ही जिम्मेदार होंगे और इस बाबत नगर परिषद् पाली का किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
3. मैं शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि उक्त खातेदार की ओर से अनुमोदन हेतु नगर परिषद्, पाली को प्रस्तुत किया गया संलग्न अन्तरिम मानचित्र, नाप आदि के बाबत पूर्ण रूप से सही है और अनुमोदन के पश्चात् डिमारकेशन प्लान के नियमानुसार वांछित संशोधित मानचित्र नगर परिषद्, पाली द्वारा मांगने पर तत्काल प्रस्तुत कर दिया जावेंगा।
4. मैं शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि ग्राम.....के आराजी संख्या नं. .....क्षेत्रफल.....में से.....हिस्सा/क्षेत्रफल मैंने भूमि के खातेदार से पंजीकृत विक्रय विलेख/विक्रय इकरार/पावर ऑफ अर्टोनी से क्रय किया है और मौके पर मैं काबिज हूँ।
5. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि भूमि जिसे मैंने क्रय किया है अकृषि अर्थात..... प्रयोजन के लिए उपयोग कर लिया है और इसी प्रयोजन से मैंने खरीदा है और मौके पर वर्तमान में..... निर्माण किया हुआ है। मैंने अकृषि प्रयोजनार्थ प्लाट काट दिये है। मौके पर सड़क बना दी है/डिमारकेशन कर दिया है।
6. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.6.99 एंव इस अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश आदि दिनांक 10.7.99 के अनुसरण में यह भूमि मैं राज्य सरकार को स्वेच्छा से समर्पित करता हूँ और तद्नुरूप भूमि राज्य सरकार में निहित होने में मुझे या भूमि के खातेदार में कोई आपत्ति नहीं है और प्रार्थना करता हूँ कि नगर परिषद् के नियमानुसार भूमि का नियमितिकरण मेरे पक्ष में किया जाकर आवंटन आदेश जारी किये जाये। इस हेतु मैं निर्धारित राशि परिषद् कोष में जमा कराने को तैयार हूँ।
7. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि भूमि जिसका नियमितिकरण की प्रार्थना की जा रही है वो किसी सार्वजनिक ट्रस्ट धार्मिक या चेरिटेबल संस्था या वक्फ/देवस्थान के स्वामित्व या खातेदारी की नहीं है और यह भूमि निजी खातेदारी की है जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत कर रहा हूँ।
8. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि भूमि का पुर्नग्रहण राज्य सरकार के हक में कर दिया जाये और तत्पश्चात् नगर परिषद्, पाली के नाम भूमि अंकित होने के पश्चात् भूमि का आवंटन/नियमन मेरे पक्ष में कर दिया जाए। मैं यह भी शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि भूमि राजस्थान भूमि सुधार एंव भू स्वामित्व की संपदा अर्जन अधिनियम 1963 नगरीय भूमि अधिकतम सीमा एंव उपबंधित अधिनियम 1976 एंव राजस्थान कृषि जोत अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 से प्रभावी नहीं है।
9. मैं यह शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि भूमि हर प्रकार से भार व दायित्वों से मुक्त है इस खाते की भूमि या इसके किसी अंश को लेकर किसी न्यायालय में कोई वाद इसके हर विभाजन अधिकार, उत्तराधिकार आदि को लेकर नहीं है न ही इस पर किसी न्यायालय का कोई प्रभावी आदेश है न हीं यह सम्पत्ति किन्हीं दायित्व व कुर्की के अधिन है। भूमि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.97 के अनुसरण में बाद समर्पण एंव पुर्नग्रहण नियमित किये जाने योग्य है।

मैं उक्त शपथकर्ता ईश्वर को साक्षी करके शपथ एंव निष्ठा पुर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण विवरण मेरी जानकारी व रिकार्ड के आधार पर सही है तथा कोई भी तथ्य या महत्वपूर्ण बात छिपाई नहीं गई और ना ही तथ्य व रिकार्ड के विपरित बात कही गई है। अतः ईश्वर सत्य बोलने में मेरी सहायता करें।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

नाम.....

पिता का नाम.....

डाक का पता.....

खातेदार/क्रेता.....

प्रमाणीकरण

मै उपरोक्त शपथग्रहिता यह शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के पैरा स. 1 से 9 में अंकित समस्थ कथन मेरे निजी ज्ञान व विश्वास से सही व सत्य अंकित करता हूँ और इसमें किसी तात्विक सूचना को छिपाया नहीं गया हैं ईश्वर मेरी मदद करें।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

प्रपत्र – 3

(75/– रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटरी पब्लिक से तस्दीक)

क्षतिपूर्ति बंध–पत्र

चुंकि नगर परिषद्, पाली द्वारा.....गृह निर्माण सहकारी समिति.....के सदस्यों के लिए राजस्व ग्राम..... (तहसील.....) की आराजी संख्या.....क्षेत्रफल.....वर्गफीट की .....स्कीम की भूमि के नियमन आदि की कार्यवाही की जा रही है और मैं उक्त भूमि निर्माण सहकारी समिति का अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/अवसायक हूँ।

या

राजस्व ग्राम.....(तहसील.....) आराजी संख्या.....कुल क्षेत्रफल.....में से.....हिस्से का क्रेता/खातेदार हूँ।

इस कारण उपरोक्त हैसियत से मैं उपरोक्त गृह निर्माण सहकारी समिति या खातेदार/क्रेता की ओर से अपने आपको वचनबद्ध करता हूँ कि नगर परिषद्, पाली द्वारा नियमन की जाने वाली कार्यवाही के परिणाम स्वरूप किसी समिति या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कानूनी विवाद को लेकर नगर परिषद्, पाली को किसी प्रकार की आर्थिक हानि होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति नगर परिषद्, पाली को उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति/खातेदार/क्रेता द्वारा की जावेगी अथवा राशि उक्त समिति/खातेदार/क्रेता से पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।

अतः यह क्षतिपूर्ति बंध–पत्र मैंने उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/अवसायक या आराजी संख्या.....क्षेत्रफल..... राजस्व ग्राम.....के खातेदार/क्रेता की हैसियत से निस्पादित व हस्ताक्षरित करके प्रमाणित कर दिया है। जो सनद रहे और वक्त जरुरत काम आए।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

नाम.....

दिनांक.....

पिता का नाम.....

आयु.....जाति.....

स्थान :–

व्यवसाय.....

पता.....

या

अध्यक्ष/मंत्री/प्रशासक/अवसायक

गृह निर्माण सहकारी समिति

1. साक्षीगण

नाम.....

मय सम्पूर्ण पता :–

पिता का नाम.....

पता.....

.....